प्रेस विज्ञप्ति
06.09.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रायपुर आंचलिक कार्यालय ने पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत जिला खनिज फाउंडेशन ट्रस्ट (डीएमएफटी) घोटाले के संबंध में 03.09.2025 और 04.09.2025 को छत्तीसगढ़ राज्य में 28 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इन स्थानों में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड (बीज निगम) से संबंधित ठेकेदारों/विक्रेताओं और उनके संपर्ककर्ताओं/बिचौलियों के आवासीय और कार्यालय परिसर शामिल हैं। तलाशी और जब्ती अभियान के परिणामस्वरूप **4 करोड़ रुपये की नकदी, 10 किलोग्राम चांदी के बुलियन** के साथ-साथ अन्य आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल उपकरण आदि जब्त किए गए।

ईडी ने डीएमएफटी फंड के कथित दुरुपयोग के लिए विक्रेताओं/ठेकेदारों और सरकारी अधिकारियों के खिलाफ आईपीसी, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। डीएमएफटी एक ट्रस्ट है, जो खनिकों द्वारा वित्त पोषित है और खनन संबंधी परियोजनाओं और गतिविधियों से प्रभावित लोगों के लाभ के लिए काम करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में स्थापित किया गया है। हालांकि, कुछ सरकारी अधिकारियों ने कुछ विक्रेताओं/ठेकेदारों और बिचौलियों के साथ मिलीभगत करके इसका दुरुपयोग किया और भारी मात्रा में कमीशन/रिश्वत के बदले अवैध रूप से निविदाओं का आवंटन प्राप्त करके अपराध की आय (पीओसी) उत्पन्न की।

ईडी की जाँच से पता चला है कि छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के डीएमएफटी फंड, लगभग **350 करोड़ रुपये**, का इस्तेमाल बीज निगम के माध्यम से किया गया। बीज निगम के माध्यम से, विक्रेताओं/ठेकेदारों को कृषि उपकरण; पल्वराइज़र; मिनी दाल मिल; बीज आदि की आपूर्ति के लिए कार्य आवंटित किए गए, और **अनुबंध मूल्य (अपराध की आय) का 60% तक कमीशन/रिश्वत** उनसे संपर्ककर्ताओं द्वारा ली गई और अंततः कुछ सरकारी अधिकारियों और अन्य सहयोगियों तक पहुँचाई गई।

इससे पहले, प्रवर्तन निदेशालय ने **21.47 करोड़ रुपये** की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की थी और न्यायनिर्णयन प्राधिकरण द्वारा इसकी पुष्टि भी की गई थी। साथ ही विशेष पीएमएलए न्यायालय, रायपुर में एक अभियोजन शिकायत दर्ज की गई है, जिसमें 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा, इस मामले में तीन लोगों (श्रीमती रानू साहू, आईएएस, श्रीमती माया वारियर, राज्य सेवा अधिकारी और मनोज कुमार द्विवेदी) को गिरफ्तार किया गया है।

आगे की जाँच प्रक्रियाधीन है।